इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक20.03.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अवैध तमंचे के साथ मोबाइल की लूट करने वाले अभियुक्त को 5 वर्ष के कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 7,000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते अवैध तमंचे के साथ मोबाइल की लूट करने वाले अभियुक्त को 5 वर्ष के कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 7,000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।

संक्षिप्त विवरणः-

वादी राजीव कुमार पुत्र रामशंकर निवासी करमगंज चम्पा बाग जनपद इटावा द्वारा थाना कोतवाली पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोटर साइकिल पर सवार होकर वादी के पुत्र से मोबाइल छींन लेने के संबंध में तहरीरी सूचना दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर **मु0अ0सं0 25/2022 धारा 392/411 व मु0अ0सं0 172/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 मोहनवीर द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त जितेन्द्र कुमार पुत्र खुशीराम के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना कोतवाली पुलिस टीम, पैरोकार का0 राम सिंह एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री गौरव दीक्षित द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 20.03.2024 को अन्तर्गत धारा 392/411 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में मा0 न्यायालय स्पेशल डकैती कोर्ट जनपद इटावा द्वारा 5 वर्ष के कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 7,000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **जितेन्द्र कुमार पुत्र खुशीराम निवासी ग्राम अहिकारीपुर पोस्ट कुंडी थाना बेवर जनपद मैनपुरी ।**